दिनांक 06.08.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम की टीम ने आकाश गंगा सब्जी मंडी में चलाया बेदखली अभियान, खुली भूमि पर बनाई गई टिन शेड को हटवाकर कर खाली कराया कब्जा, व्यापारियों को स्वयं से कब्जा हटा लेने की दी गई चेतावनी

निगम की टीम ने आकाश गंगा सब्जी मंडी में चलाया बेदखली अभियान , खुली भूमि पर बनाई गई टिन शेड को हटवाकर कर खाली कराया कब्जा, व्यापारियों को स्वयं से कब्जा हटा लेने की दी गई चेतावनी भिलाई नगर। नगर पालिक निगम की टीम ने आकाश गंगा सब्जी मंडी सुपेला में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। आकाश गंगा सब्जी मंडी की खुली भूमि सहित आठ चबूतरों के बीच की खाली जगह पर टिन शेड लगाकर की गई कब्जा को खाली कराया गया। देर शाम तक तीन बैकहो लोडर मशीन से चबूतरे और टिन शेड को हटाने की कार्रवाई की। पार्किंग और वेस्ट डंप करने के लिए आरक्षित स्थल के कब्जाधारियों को स्वयं से कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं नेहरू नगर जोन- 1 जोन कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। स्वयं से कब्जा नहीं हटाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए। तहसीलदार और पुलिस जवानों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई भिलाई नगर तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा, सुपेला पुलिस के जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आकाश गंगा सब्जी मंडी में पार्किंग के लिए आरक्षित खुली भूमि पर गजेन्द्र पांडेय और अश्वनी गुप्ता के द्वारा कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। खुली भूमि पर उन्होंने लोहे की पाइप , एंगल और टिन की सीट से शेड बना लिया था। गोडाउन के रूप में उपयोग कर रहा था। निगम प्रशासन ने दोनों के नाम नोटिस जारी कर 6 अगस्त तक कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी थी। निर्धारित अवधि में उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। तहसीलदार, जोन कमिश्नर और पुलिस बल के नेतृत्व में जब निगम की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची तो कब्जाधारी गजेन्द्र पांडेय और अश्वनी गुप्ता ने कार्यवाही बधित करने का प्रयास किया। तहसीलदार वर्मा और सुपेला थाना प्रभारी ने दोनों को कानूनी की कार्रवाई की जैसे ही चेतावनी दी। दोनों पीछे हट गए।व्यापारियों ने स्वयं से कब्जा हटाकर निगम की कार्रवाई में सहयोग भी किया।ज्वेलर्स की रैलिंग हटवाया जोन-1 आयुक्त ने आकाश गंगा सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर पीसी ज्वेलर्स के सामने लगाई रैलिंग को हटवाया। संपदा विभाग के बीएल कोसरे को भवन मालिक को नोटिस जारी कर आवंटन से संबंधित दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा विभाग के सहायक अभियंता अनिल सिंह , उप अभियंता अरविंद शर्मा सहित जोन-1 और जोन-2 के कर्मचारी मौजूद थे।

CERTIFIED DIAMOND JEWELLERY

20X